तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज नजरसानी/एल.आर/575/2005/दौसा झण्डया बनाम प्रभात्या	नम्बर व तारीख

<u>न्यायालय – राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर</u>

<u>एकलपीठ</u>

श्री गणेश कुमार, सदस्य

उपस्थित –

श्री हनुमान सोगानी, अधिवक्ता, प्रार्थीगण

अप्रार्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं

निर्णय

दिनांक 22.11.2023

प्रार्थीगण ने यह नजरसानी प्रार्थनापत्र राजस्थान भू राजस्व अधिनियम अधिनियम 1956 की धारा 86 के अन्तर्गत मण्डल की एकलपीठ द्वारा अपील संख्या–18/2000 बउनवानी प्रभात्या व अन्य बनाम झण्डया व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 07–01–2004 के विरूद्ध प्रस्तुत की है।

विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थीगण को बार बार आवाज लगाई गयी, कोई उपस्थित नहीं होने पर विद्वान योग्य अधिवक्ता प्रार्थीगण की एकतरफा बहस नजरसानी प्रार्थनापत्र के एडमीशन पर सुनी।

विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी नजरसानीकर्ता ने निगरानी मीमों में वर्णित तथ्यों की पुनरावर्ती करते हुए तर्क किया कि विवादित भूमि के मूल खातेदार स्वर्गीय दीपा थे जिनके चार लडके भौरया, नारायण, श्रीया व बद्री हुए। भौरया के स्वर्गवास होने पर उसके पुत्र कन्हैया व झण्डया वारिसान हुए। श्रीया पुत्र दीपा लाऔलाद फोत हुआ और मूल अपील में अपीलार्थी प्रभात्या वगैराह बद्री पुत्र दीपा के जायन्दा पुत्र है और वे अपने आपको श्रीया के पुत्र होना साबित करने में पूर्णतयाः असफल रहे है और पत्रावली पर ऐसी कोई साक्ष्य नहीं है जिसके आधार पर उन्हें श्रीया का वारिस होना माना जा सके परन्तु फिर भी एकलपीठ में नामान्तकरण संख्या 175 को बहाल रखे जाने में विधिक त्रुटि कारित की जो रिकार्ड पर देखते ही प्रकट होने वाली त्रुटि की श्रेणी में आता है। अतः नजरसानी प्रार्थनापत्र को विचारार्थ ग्रहण किया जावे।

विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

प्रस्तुत प्रकरण में प्रार्थीगण का नजरसानी में मुख्य आधार यह है कि विवादित भूमि के मूल खातेदार स्वर्गीय दीपा थे जिनके चार लडके भौरया, नारायण, श्रीया व बद्री हुए। भौरया के स्वर्गवास होने पर उसके पुत्र कन्हैया व झण्डया वारिसान हुए। श्रीया पुत्र दीपा लाऔलाद फोत हुआ और मूल अपील में अपीलार्थी प्रभात्या वगैराह बद्री पुत्र दीपा के जायन्दा पुत्र है और वे अपने आपको श्रीया के पुत्र होना साबित करने में पूर्णतयाः असफल रहे है और पत्रावली पर ऐसी कोई साक्ष्य नहीं है जिसके आधार पर उन्हें श्रीया का वारिस होना माना जा सके किन्तु मण्डल की एकलपीठ द्वारा पारित निर्णय में यह मानते हुए कि नामान्तकरण की कार्यवाही संक्षिप्त कार्यवाही है जिसमें विधि के

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज नजरसानी/एल.आर/575/2005/दौसा झण्डया बनाम प्रभात्या	नम्बर व तारीख
	जटिल प्रश्नों का समाधान सम्भव नहीं है और इस प्रकरण में पक्षकारों में श्रीया की विरासत का विवाद है। गांव पापडदा की जमीन में 1/4हिस्से का नामान्तकरण स्वीकार हुआ है तथा बंटवारा भी हुआ है और उसी अनुसार ग्राम आलूदा की भूमि में भी श्रीया के हिस्से बाबत् नामान्तकरण संख्या–175 स्वीकार किया गया है, जो उचित था। इस प्रकार नजरसानीकर्ता द्वारा रिव्यू में उठाये गये आधार पहले ही एकलपीठ द्वारा अपील में पारित निर्णय में तय किये जा चुके है तो वह बिन्दू अभिलेख के मुख पर त्रुटि की श्रेणी में नहीं है। राजस्थान टिनेन्सी एक्ट, 1955 बाई एस.के. दत्त के 2018 के संस्करण की पुस्तक के पेज 617 के बिन्दू (ज) में यह व्यक्त किया है कि "किसी विवादित बिन्दू पर विधि का गलत दृष्टिकोण या विधि का गलत विवेचन या उचित कानून को लागू करने में असफलता को अभिलेख के मुख पर लगती या प्रकट त्रुटि नहीं कहा जा सकता।" पुर्नविलोकन में उठाये गये आधार पहले ही तय किये जा चुके है तो वह अभिलेख के मुख पर त्रुटि नहीं है और कोई नया बिन्दू नहीं उठाया तो पुर्नविलोकन का कोई आधार नहीं है। भूल से निर्णय पारित हुआ हो तो उसका पुर्नविलोकन किया जा सकता है परन्तु त्रुटिपूर्ण निर्णय का नहीं। वैसे भी रिव्यू का क्षेत्राधिकार सीमित होता है रिव्यू में मामले के गुणावगुण पर सुनवाई नहीं हो सकती और ना ही अपील में उठाये जाने वाले बिन्दू रिव्यू के माध्यम से उठायें जा सकते। रिव्यू अपील का माध्यम नहीं हो सकता। यदि निर्णय से कोई व्यक्ति / पक्षकार पीडित है तो सक्षम न्यायालय में उचित कार्यवाही करने हेतु स्वतन्त्र है। परिणामतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नजरसानी प्रार्थनापत्र विचारार्थ ग्रहण के स्तर पर खारिज किया जाता है। निर्णय की एक प्रति मूल अपील पत्रावली में संलग्न की जावे। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को प्रेषित हो। पत्रावली बाद इन्द्राज दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(गणेश कुमार)** सदस्य	